भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अम्ब्रेला स्कीम भारतीयं परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग पैकेज–III का औरंगाबाद जिला अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 16.01.2023 को अप० 01:30 बजे प्रखंड कार्यालय, अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद में आयोजित लोक सुनवाई का वृत।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File.No. 10/12/2022-IA.III, dated 09.05.2022 (प्रस्ताव संख्या IA/BR/NCP/253270/2022) के आलोक में श्री कमलेश सिंह, अपर जिला दण्डाधिकारी सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला–औरंगाबाद (जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 16.01.2023 को अप० 01:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

उक्त लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, आज, नवबिहार टाइम्स एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 10.12.2022 को प्रकाशित की गयी थी(प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दो दिन पूर्व Miking द्वारा भी लोक–सुनवाई की सूचना स्थानीय आम जनता को दी गयी। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 के तहत् इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री नितीश कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास कार्य, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आम–जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे औरंगाबाद जिला के 03 तहसील (नवीनगर, कुटुम्बा डी.ओ.) और गया जिले के 02 तहसील (डुमरिया, इमामगंज) के लगभग 77 गाँवो से होकर गुजरती है। प्रस्तावित परियोजना की लम्बाई 70.400 किलोमीटर है। कुल अधिग्रहित भूमि 589.5 हेक्टेयर (सरकारी भूमि 181.4, निजी भूमि 319.9 एवं वन भूमि 88.2 हेक्टेयर) है। यह एक हरित क्षेत्र संरेखण है और 4/6 लेन के लिए प्रस्तावित है।

प्रस्तावित परियोजना के दौरान प्रमुख पुल–(09), छोटे पुल–(10), छोटे पुल सह अंडरपास–(19), वाहन अंडरपास–(02), एसवीयूपी–(08) , एलवीयूपी–(25), फ्लाई ओवर–(06), आर.ओ.बी.–(01), इंटरचेंज–(01), बाक्सकल्वरर्टस–(125) एवं एलीमेटेड रोड–(06) का निर्माण प्रस्तावित है।

कुल पानी की आवश्यकता–2,650 कि०ली०/दिन। निर्माण सामग्री में कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, स्टील, बिटुमेन, बिटुमेन इमल्शन, मोटी रेत एवं मिट्टी/फ्लाई ऐश का उपयोग प्रस्तावित है।

परियोजना लागत रू० 2792.00 करोड़ होगा।

प्रस्तावित सड़क परियोजना का मुख्य उदेद्श्य बिहार राज्य में दूरी और यात्रा के समय को कम करना और दूरदराज के क्षेत्रों और प्रमुख शहरों को जोड़ना है। परियोजना इन क्षेत्रों के विकास पर जोर देती है और इन्हें संसाधनों के साथ उपलब्ध कराती है।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)–परियोजना के निर्माण चरण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण जिम्मेदारियों के दौरान प्रस्तावित उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गयी है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को पर्यावरण और सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर डिजाईन किया गया है, जिसका लक्ष्य निम्नलिखित हैः–

1. देशी वनस्पतियों और जीवों, यदि कोई हो, को कम से कम प्रभावित हो।
2. वायु, जल मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण, यदि कोई हो, को रोकना और कम करना।
3. सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

एक्सप्रेसवे के दोनो तरफ वृक्षारोपण I.R.C.SP21 2009 एवं हरित राजमार्ग नीति 2015के अनुसार कराया जाएगा जिसमें मार्ग के दोनो तरफ पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के छायादार पौधे लगाए जाएंगे। जिससे वातावरण शुद्ध रहेगा।

प्रस्तावित परियोजना के अन्दर 88.2 हेक्टेयर अर्जित वनभूमि के अन्दर 14.7 किलोमीटर संरक्षित वनभूमि भी आता है। शोर का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्याशित नहीं है। मिट्टी के काम और निर्माण सामाग्री के लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। यातायात के दौरान सभी निर्माण सामाग्री को तिरपाल से ढक कर ले जाएगा। सभी निर्माण मशीनरी को नियत्रंण उपकरणो से संचालित किया जाएगा। और किसी गतिविधि से पहले राज्य प्रदूशण नियत्रंण पर्षद् से सहमति प्राप्त की जाएगी।

निर्माण के दौरान ठोस अपशिष्ट का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

इस परियोजना के अनेकों लाभ हैः–

- प्रस्तावित संरेखण वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे, रोहतास जिले में रामपुर गांव से औरंगाबाद जिले में तेतरहार गांव को जोड़ रहा है।

- इस परियोजना के आस पास के क्षेत्र में आने वाले गाँवों–कस्बो की आर्थिक उन्नति होगी।
- कृषि बाजार पहुंच में सुविधा होगी।
- औद्योगिक संपर्क (कनेक्टिविटी) को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रस्तावित सड़क परियोजना के आस पास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के निर्माण में बढ़ावा मिलेगा।
- प्रस्तावित सड़क परियोजना के आस पास के लोगो को योग्यता अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैः–

1. श्री विरेन्द्र पाण्डेय, पिता–श्री मुसाफीर पाण्डेय, ग्राम–धनीबार, प्रखण्ड–अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद के द्वारा अपने अधिग्रहित होनेवाले जमीन का उचित मुआवजा एवं इस निर्माण कार्य के दौरान होने वाले प्रदूषण के समस्या का निदान कैसे होगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियम एवं प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा का भूगतान की जानी है साथ ही निर्माण कार्य के दौरान होने वाले प्रदूषण की समस्या से निवारण के लिए निम्नरूपेण प्रस्तावित हैः–

(I) निर्माण कार्य स्थल पर धूलकण की समस्या का समाधान के लिए लगातार जल का छिड़काव किया जायेगा।
(II) निर्माण कार्य में लगने वाले वाहनों का पी.यू.सी. की जांच की जायेगी।
(III) निर्माण कार्य प्रारंम्भ होने के पहले बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त कर उनमें दिये गये शर्त्तो का अक्षरसः अनुपालन किया जायेगा।

2. श्री संजीव तिवारी, पिता–श्री रामवरण तिवारी, ग्राम–सोनवर्षा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद के द्वारा बतलाया गया कि मेरे अधिग्रहित हो रहे मकान एवं जमीन का सही दर पर मुआवजा मिलना चाहिए।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव है।

3. श्री पंकज तिवारी, पिता–श्री भोला तिवारी, ग्राम–धनीबार, प्रखण्ड–अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद के द्वारा मांग की गयी की अधिग्रहित क्षेत्र में आने वाले सड़क के किनारे की भूमि को, आवासीय भूमि एवं ईट भट्ठा स्थापित भूमि को वाणिज्यिक घोषित करने की मांग की गयी।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया कि सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित निर्धारित नियमों के अनुकुल मुआवजा दर देने का प्रस्ताव है।

4. श्री विकाश कुमार सिंह, पिता–श्री त्रिपुरारी सिंह, ग्राम–सिंघना, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद।
5. श्रीमति सुनिता देवी, ग्राम–महसु, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद।
6. श्री सुजित कुमार, ग्राम–कुटुम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद के द्वारा बतलाया गया कि मेरा जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है, लेकिन जिला कार्यालय स्तर पर अधिग्रहित भूमि की सूची में मेरा नाम दर्ज नहीं है।
7. श्री प्रसाद राम, पिता–श्री रामखेलावन, ग्राम–भलूआरी कालन, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद के द्वारा बतलाया गया कि मेरे अधिग्रहित किए जा रहे भूमि के बदले में अन्यत्र जगह पर भूमि मुझे उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्त क्रम संख्या–4–7 तक सभी महानुभाव द्वारा दिए गये सुझाव एवं की गयी मांग के संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुकुल जिला प्रशासन औरंगाबाद के स्तर पर समूचित समाधान कर ली जायेगी।

अध्यक्ष महोदय (अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, औरंगाबाद) द्वारा बताया गया कि भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी–कोलकाता खंड के 4/6 लेन पथ निर्माण हेतु औरंगाबाद जिला के तीन अंचल नवीनगर, कुटुम्बा, देव के कुल 52 मौजों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है। अधिग्रहित भूमि का NH Act 1956 की घारा 3A के तहत गजट का प्रकाशन किया गया है। 3D प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। अधिग्रहित भूमि के हितबद्ध रैयतों को नियमानुसार मुआवजा भूगतान की कार्रवाई की जाती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आपलोग की बात का ध्यान रखा जाएगा। परियोजना के दौरान स्थानीय जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। ऐसा प्रयास होना चाहिए कि प्रदूषण न्यूनतम हो स्थानीय लोगो को रोजगार मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक–सुनवाई के पश्चात् उपस्थित जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक–सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,गया

अपर समाहर्त्ता सह पी.जी.आर.ओ.
औरंगाबाद

उपस्थिति सूची

मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अम्ब्रेला स्कीम भारतीय परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग पैकेज–III का औरंगाबाद जिला अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस. ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 16.01.2023 को अपराह्न 01:30 बजे प्रखंड कार्यालय, अम्बा, अंचल–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता एवं मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1.	Kamlesh Singh	Collectorate office	[signature] 16/1/23
2.	Dharmendra Kumar	[illegible] औरंगाबाद	[signature] 16/1/23
3.	Amit Kr Singh	DLAO / [illegible]	[signature]
4.	Supriya Anand R.O Nabinagar	Circle office Nabinagar	सुप्रिया आनंद 16.1.23
5.	Himanshu Kumar RO Kutumba	Circle office Kutumba	[signature] 16/1/23
6.	Manoranjan Kr Singh R.O Gaya	BSPC Road Patna	[signature] 16.1.23
7.	Kumar Chitransh	Mgr(T) NHAI PIU-Gaya	[signature] 16/01/23
8.	[illegible]	[illegible] 7296065288	[signature]
9.	[illegible]	9955448496	[signature]
10.	Dharmendra Sharma	Kutumba 9709299632	[signature] Sharma
11.	Bipendra Kumar K.C	Kutumba 7783870315	[signature] 16/01/23
12.	[illegible]	कुटुम्बा [illegible] 9939016291	[signature] 16/01/2023
13.	कुमार [illegible] सिंह	[illegible] 9934783248	[signature] 16.1.23
14.	[illegible]	[illegible] 9835735938	[signature]

15.	MAMTA DAS	कुमारी पंचायत 7004641841	[illegible] 16/01/23
16.	[illegible]	जोरी	
17.	[illegible]	जोरी 8102598521	
18.	अरुण कुमार	जोरी 9110953158	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible] 6201084352	16-1-23
20.	Sunil Kr. Singh	Singhara 7858913192	16/01/23 Sksingh
21.	सोनु कुमार	करमडीह 6201921277	Sonu King
22.	नन्दु कुमार	करमडीह 8102531508	Nanda Kumar
23.	[illegible]	[illegible] 8084014021	[illegible]
24.	[illegible]	[illegible]	
25.	[illegible]	ग्राम [illegible] 9801259241	[illegible]
26.	[illegible]	ग्राम [illegible] 62008[illegible]53	[illegible]
27.	पंकज तिवारी	ग्राम [illegible] 7858975261	Pal
28.	संजय कु० सिंह 9661134032	प्रबंधक [illegible] कैम्प कार्यालय [illegible]	[illegible]
29.	Rishikesh Kumar	Dhanibar, Aurangabad 9471991179	[illegible]
30.	मनोज पाण्डेय	[illegible] 9110931574	मनोज पाण्डेय
31.	[illegible]	[illegible] 9065434827	
32.	राजकुमार पाण्डेय	[illegible]	राजकुमार पाण्डेय
33.	नरेश पाण्डेय	[illegible]	नरेश पाण्डेय

34.	अरविन्द कुमार	डेरा उत्तर 8877350381	[illegible]
35.	[illegible]	[illegible] 9431470840	[illegible]
36.	Mohammad Parvez	Dhanpur Arka-Amba-9572931200	[illegible]
37.	विरेन्द्र पाण्डेय	ग्राम आलमबाद-94304 80046	विरेन्द्र पाण्डेय
38.	कमला प्रजापति	[illegible] 7070810440	कमला प्रजापति
39.	Sanjiv Tiwari	Village-Sangrampur 9914580267	[illegible]
40.	[illegible] तिवारी	सोन भद्र 8084464259	[illegible] तिवारी
41.	घुरा राम	[illegible] 7362887523	
42.	[illegible]	देवपुर 9006429839	[illegible]
43.	विनोद सिंह	सिधाना 8292915746	विनोद सिंह
44.	Ashish kr Singh	Singhpur 9122846670	Ashish kr Singh
45.	सुमन देवी	9801261382 [illegible]	सुमन देवी
46.	कुन्ती देवी	[illegible]	
47.	[illegible]	[illegible] 9572815714	[illegible]
48.	हरेराम तिवारी	[illegible] 9955611103	
49.	साकेत कुमार	[illegible] 9771158639	साकेत कुमार
50.	प्रसेनजीत कुमार	[illegible] मोबाइल 9555006567	प्रसेनजीत कुमार
51.	Rajesh Kumar	[illegible] 6203659364	[illegible]
52.	राकेश तिवारी	[illegible] 9601581986	राकेश

53.	संजय कु० मिस्त्री	9955819986 एरका	संजय कु० मिस्त्री
54.	कुन्दन कुमार	9631783383 एरका	कुन्दन कु
55.	मनोज तिवारी	8002784977 चाँदवार	मनोज तिवारी
56.	vikash kr singh	7004233015 तेतरी	vikash k singh
57.	रवि श्याम गंगवार	SA papa (DPX (agriculture)) गोरिया	[illegible]
58.	उपेन्द्र महतो	बरहेता 9601477367	
59.	Champat Devi	BHRmath 6202903693	Champat Devi
60.	दयाकिशोर यादव	नरौली 7970384405	दयाकिशोर यादव
61.	मनोज कुमार सिंह	भीतरसेनपुर 8294194244	[illegible]
62.	सत्येन्द्र पांडेय	पाण्डेय चौरहा गोल 9661459456	सत्येन्द्र पांडेय
63.	सरयु यादव	महतो 9955873999	सरयु यादव
64.	Manajit Singh	9631958035	बरहेता Manajit Singh
65.	Ajay Singh	करहेता 9934025244	Ajay Singh
66.	राजेन्द्र राम	बरौली	राजेन्द्र [illegible]
67.	विष्णुदेव राम	धान्दारन 9955507369	विष्णुदेव राम
68.			
69.			
70.			
71.			